तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर अहलकार हुक्म में ज
05/07/22	पत्रावली आज पेश हुयी वादी व वादी के अधिवक्ता अनुपस्थित। वादी व वादी के अधिवक्ता को कोई समय है तीन बार तीन-तीन आवाजें दिलाई नहीं बावजूद आवाजें दिलाने के वादी व वादी के अधिवक्ता अनुपस्थित। अतः उक्त उनवान प्रकरण वादी की अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली नियम अनुसार पूरा होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलेक्टर गुड़ामालानी	

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:06:27 IST
Reason: SelfAttested

by Adv. Poonama Ram.
reader check & report.

सेवा मे
श्रीमान सहायक कलेक्टर एव एस0डी0ओ0महोदय
गूडामालानी जिला बाडमेर

वादी :-

फुसाराम पूत्र हरखाराम उम्र 68 जाति जाट निवासी बांटा खेताजी तहसील गूडामालानी जिला बाडमेर

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1 धनी पत्नी लिछमणा उम्र 80 साल
2 भीयाराम पूत्र लिछमणा उम्र 40 साल
3 मूलाराम पूत्र लिछमणा उम्र 43 साल
4 रावताराम पुत्र लिछमणा उम्र45 साल
निवासी बांटा तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर
6 शाखा प्रबन्धक एस0बी0बी0जे0 गूडामालानी
7 तहसीलदार गूडामालानी जिला बाडमेर

राजस्ववाद अन्तर्गत धारा 53 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 ।

महांदयजी

वादी का वाद निम्न प्रकार है कि

1 कि वादी एव प्रतिवादीगण आपस मे सगे भाई एव रक्त संम्बधी ओर पुर्व पुरूष हरखा के वारिस है जिसका वंशवक्ष निम्न प्रकार है।

हरखा

फुसा 1/2 (वादी) — लिछमणा 1/2

धनी 1/8 भीया1/8 मूला1/8 रावता 1/8

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:06:27 IST
Reason: SelfAttested

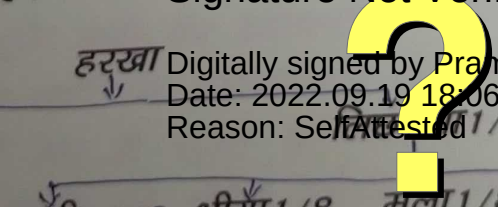

कि वादी एव प्रतिवादीगण की सयूक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 244 रकबा 2.0639 हेक्टर खसरा न0 245 रकबा 4.2735 कुल रकबा 6.3374 हेक्टर जिस्मे वादी का 1/2 हिस्सा है ओर प्रतिवादी सख्या 1 का 1/8 हिस्सा प्रतिवादी सख्या 2 का 1/8 हिस्सा प्रतिवादी सख्या 3 का 1/8 हिस्सा प्रतिवादी सख्या 4 का 1/8 हिस्सा है उसी के अनूरूप मौके पर अपने अपने हिस्से अनूसार किये गये बाहमी बंटवाडा अनूसार काबिज है।

3 कि अब परिवार एव खातेदारो की सख्या बढ जाने के कारण वादी को अपने हक व हिस्से की भूमि मे कषि करने भूमि को उपजाउ बनाने व खाद बीज बगेरा के लिये सहकारी समिति से सुधार हेतू ऋण आदि लेने मे वादीगण को भारी समस्या होने के कारण वादीगण अब अपने हिस्से मे आने वाली भूमि का अपने कब्जे काश्त के अनूसार बंटवाडा करवाना चाहते है ईसलिये यह वाद पेश किया जा रहा है।

4 कि वादी एव प्रतिवादीगण के पुर्वजो से प्राप्त पेतक भूमि है। जो अब पक्षकारान के मध्य आपसी बहामी बटवाडा किया हूआ उसी अनूसार मोके पर काबिज है। उसी भूमि मे वादी की ढाणी टांके बाडे चारवाडे आदि बने हूऐ है। परन्तू प्रतिवादी गण की नियत मे खोट पेदा होने के कारण उक्त वादी के कब्जे काश्त की भूमि पर से वादी का कब्जा अवेध तरीके से हटाने का [illegible] है। ओर वादी को उनके घर तक आने वाले [illegible] बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। [illegible] हक हिस्से मे आने वाली भूमि व भविष्य मे सर[illegible] कटाण रास्ते को मध्य नजर रखते हूऐ अपने हिस्से की भूमि जो वाद के साथ नजरी नक्शे दर्शाये अनुसार अलग करवाने के लिये यह वाद प्रस्तुत किया जा रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:06:27 IST
Reason: SelfAttested